प्रकरण संख्या : 538/2014 रे.फो. राज्य बनाम चन्द्रकान्त वगै.
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 372/2011 पीएस नाथद्वारा

31.08.2016

अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्तगण चन्द्रकान्त, नाथुलाल, नारायणलाल, अशोक कुमार, कल्याणसिंह, गिर्राज गुर्जर एवं शम्भुसिंह उपस्थित। सभी अभियुक्तगण की ओर से उनके अधिवक्तागण उपस्थित है।

बहस आरोप विस्तारपूर्वक सुनी गई। दिनांक 29.09.2014 को अभियुक्त चन्द्रकान्त के विरूद्ध धारा 420, 471, 120बी. भा.दं. सं. में प्रसंज्ञान लिया गया तथा अभियुक्तगण नाथुलाल, नारायणलाल, अशोक कुमार, कल्याणसिंह, गिर्राज गुर्जर एवं शम्भुसिंह के विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 120बी. भा.दं.सं. में प्रसंज्ञान लिया गया है। बहस आरोप के दौरान विद्वान् अधिवक्ता चन्द्रकांत की ओर से यह तर्क दिये गये कि चन्द्रकांत द्वारा कोई आपराधिक षड़यंत्र कारित नहीं किया गया न ही नगरपालिका नाथद्वारा की फर्जी सील मोहर का उपयोग कर आम रास्ते का फर्जी पट्टा बनाया गया और न ही उस पट्टे को छलपूर्वक प्राप्त करते हुये हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित कर प्रवंचना की। साथ ही अधिवक्ता अभियुक्त चन्द्रकांत द्वारा यह भी तर्क दिये गये कि उक्त फर्जी पट्टे की कूटरचना करते हुये उसको असल के रूप में राजस्थान भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के समक्ष अभियुक्त चन्द्रकांत द्वारा प्रस्तुत भी नहीं किया गया। अभियुक्त को धारा 420, 471, 120बी. भा.दं.सं. के अपराध से उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की।

न्यायालय के समक्ष यह स्थिति प्रकट है कि अभियुक्त उदयलाल पूर्व में फोत हो चुका है और फोतगी मुलजिम में उसके विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जा चुकी है।

न्यायालय के समक्ष अभियुक्त नाथुलाल, नारायणलाल, अशोक कुमार, कल्याणसिंह, गिर्राज गुर्जर एवं शम्भुसिंह के विद्वान् अधिवक्तागण उपस्थित है। उनके द्वारा बारम्बार यह तर्क दिये गये कि उनके अभियुक्तगण ने दिनांक 20.10.2009 को नगरपालिका नाथद्वारा की फर्जी सील मोहर का उपयोग करते हुये आम रास्ते की भूमि का फर्जी पट्टा संख्या 191 दिनांकित 22.10.2009 न तो प्रयोग किया गया न ही उक्त पट्टे की कूटरचना में आपराधिक आशयपूर्वक संलग्न रहे और न ही आपराधिक षड़यंत्र पूर्वक पट्टा प्राप्त कर सक्षम अधिकारीगण के समक्ष उपयोग किया। दीगर अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई आधार नहीं है। यह तर्क देते हुये अभियुक्तगण अलावा चन्द्रकान्त को धारा 420, 467, 468, 120बी. भा.दं.सं. के अपराध से उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की।

न्यायालय द्वारा पत्रावली से संलग्न आरोप पत्र पर गौर किया। पत्रावली से संलग्न पुलिस बयानात अन्तर्गत धारा 161 दं. प्र.सं. पर गौर किया। पत्रावली से संलग्न एफआईआर संख्या 372/11 दिनांकित 09.11.2011 का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं गौर किया। चाक एफआईआर के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रकट है कि यह शिकायत नगरपालिका आयुक्त नगरपालिका नाथद्वारा की ओर से दर्ज कराई गई है और पट्टा संख्या 191 दिनांकित 22.10.2009 फर्जी प्राप्त किया गया ऐसा लिखित रिपोर्ट में अंकित किया गया है। पुलिस बयानात आशीष शर्मा, फतहसिंह, अब्दुल लतीफ, इम्तियाज मोहम्मद, हितेश सनाढ्य, विजय सनाढ्य, रवि सनाढ्य, सुन्दरलाल लोढ़ा, भगवतीलाल पर गौर किया। न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर मौजूद सम्पूर्ण अभिलेख पर प्रथम दृष्टया आरोपित अपराध के संबंध में गौर किया गया।

विद्वान् अधिवक्ता् अभियुक्त चन्द्रकान्त की ओर से पुनः यह तर्क दिया गया कि फर्जी पट्टा जारी करने के संबंध में अभियुक्त चन्द्रकान्त का वास्तविक एवं आभासी किसी प्रकार का रोल (भूमिका) नहीं रहा है। अभियुक्त को उन्मोचित किया जावें।

पत्रावली से पट्टा विलेख सं.191 दिनांकित 22.10.2009 भी संलग्न है। पत्रावली पर मौजूद जो अभिलेख है वे अभियुक्त चन्द्रकान्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा 420, 471, 120बी. भा.ंद. सं. में आरोप विरचित किये जाने के पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं। इसी प्रकार अभियुक्तगण नाथुलाल, नारायणलाल, अशोक कुमार, कल्याणसिंह, गिर्राज गुर्जर एवं शम्भुसिंह के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा 420, 467, 468, 120बी. भा.दं.सं. के अपराध में आरोप विरचित किये जाने के प्रथम दृष्टया आधार पत्रावली पर मौजूद है। अतः दीगर अभियुक्तगण के खिलाफ उक्त धाराओं में आरोप विरचित किया जाना न्यायोचित है। उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं में आरोप विरचित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण उपस्थित है। अभियुक्त चन्द्रकान्त के विरूद्ध पृथक् से धारा 420, 471, 120बी. तथा अभियुक्तगण नाथुलाल, नारायणलाल, अशोक कुमार, कल्याणसिंह, गिर्राज गुर्जर एवं शम्भुसिंह के विरूद्ध पृथक् से धारा 420, 467, 468, 120बी. में आरोप विरचित कर सुनाया एवं समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोपित अपराध को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। गवाह संख्या 01 से 03 को जरिये जमानत वारण्ट एक हजार रुपये से तलब किया जावें।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य पैरवी दिनांक 14.12.2016 को पेश हो।

(लक्ष्मीकान्त वैष्णव)